राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 1242 / 2003 / नागौर

1. भंवरसिंह
2. उमेद सिंह
3. इन्द्र सिंह
4. किशनसिंह

पुत्रगण देवीसिंह जाति राजपूत निवासी साटिका खुर्द तहसील खीवंसर जिला नागौर।

....**अपीलार्थीगण**

बनाम

1. समुन्द्र सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी साटिका खुर्द तहसील खीवंसर जिला नागौर।
2. पप्पूलाल पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पांचोड़ी।
3. रूपाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी पांचला सिद्धा तहसील सीवंसर जिला नागौर।
4. तहसीलदार एवं उप पंजीयक खीवंसर।

.....**प्रत्यर्थीगण**

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः—
श्री मनीष पाण्डया, ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय **दिनांक : 17—07—2019**

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 80 / 2002 में दिनांक 22. 02.2003 को पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि मूलतः प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जिसे एतद्पश्चात ''अधिनियम 1955'' कहा गया है, अपीलार्थीगण एवं तहसीलदार के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र में अंकित विवादग्रस्त भूमि भिन्न भिन्न खसरा नम्बरान ग्राम साटिका खुर्द की 144 बीघा 5 बिस्वा पक्षकारान की

पैतृक भूमि है एवं सभी के नाम खातेदारी अंकित है। नये खसरा नम्बर 1, 2, 50 व 51 के मध्य रास्ता होने से कुल भूमि 142 बीघा 10 बिस्वा है जिसका सम्वत् 2030 में पक्षकारों में उनके पिता देवीसिंह के निधन के पश्चात सम्वत् 2030 तक संयुक्त काश्त रही व 2032 में सुविधानुसार विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर धारण में है एवं उपरोक्त विभाजन के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को खसरा नम्बर 356 में 15 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 289 में 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 में 9 बीघा 2 बिस्वा सम्पूर्ण तथा इसी खसरा नम्बर के चिपते ही खसरा नम्बर 50 की पूर्वी 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि रखी गई इसी प्रकार भंवरसिंह, इन्द्रसिंह, किशनसिंह आदि के धारण में भी अलग अलग भूमि बताई गई तथा लगान के सम्बन्ध में विवाद होना कहते हुए भौतिक रूप से विभाजन नहीं हुआ बताया गया एवं इस प्रकार विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।

3. उपरोक्त वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.07.1994 को प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया जिसमें विवादित भूमि संयुक्त होना स्वीकार किया गया किन्तु सम्वत् 2039 में किसी प्रकार का कोई बंटवारा होने से स्पष्ट इन्कार किया एवं 2040 तक संयुक्त होना कहा गया एवं वादी/प्रत्यर्थी द्वारा वर्णित बंटवारे से इन्कार किया गया एवं विशेष रूप से यह कहा गया कि वास्तव में पक्षकारों में कोई विभाजन नहीं हुआ है। यद्यपि कुछ भूमि काश्त की सुविधा से 1–2 बार वादी द्वारा काश्त की गई है किन्तु वादी द्वारा जो विभाजन बाताया गया है वह अच्छी अच्छी जमीन अपने पक्ष में बता दी है एवं यही नहीं जो भूमि वादी ने अपने हिस्से में आना बताया है उसमें इन्द्रसिंह व उमेदसिंह की ढांणी, बाड़ा, टांका बना हुआ है व वही निवास करते हैं। साथ ही खसरा नम्बर 356 की दक्षिण में अंगोर लगता है। इसी प्रकार यह भी तय हुआ था कि खसरा नम्बर 397 की दक्षिणी भाठ में रास्ता देंगे जिससे वह खसरा नम्बर 356 में आ सके। इसी प्रकार प्रतिवादीगण के कब्जे में खसरा नम्बर 289, 346 व 279 की 1/5 1/5 है तथा खसरा नम्बर 296 में किशनसिंह व भंवरसिंह की ढाणी है जिसे वादी ने अपने कब्जे में आना बताया है। यह समस्त बातें पूर्णतया मिथ्या हैं इसलिए यह विभाजन स्वीकार्य नहीं है तथा भौतिक रूप से ऐसा कोई विभाजन नहीं है जैसा कि वादी ने अपने वाद में बताया है।

4. इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा यह भी कहा गया कि वादी द्वारा विभाजन का वाद अनुचित रूप से किया गया है एवं अच्छी व सुविधाजनक व उपजाऊ खसरा नम्बर 289 ग्राम खेड़ा आदि को अपनी बंट में बता दिया है जो कि उचित नहीं है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त योग्य है।

5. उपरोक्त वादपत्र एवं प्रतिवादपत्र के आधार पर निम्नलिखित विवाद बिन्दुओं की रचना की गईः–

1) क्या आपसी सहमति से विवादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 356 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 289 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 50 की 1 बिस्वा वादी के कब्जा हिस्से में रखी तथा खसरा नम्बर 294, 295 व 296 में शामिल ही 1/5 हिस्सा है। .....वादी
2) क्या जवाबदावा अनुसार वादी के हिस्से व बंट में प्रत्येक खसरा नम्बर में 1/5 हिस्सा जवाबदावा अनुसार तथा खसरा नम्बर 294, 295 व 296 में पश्चिम की 1 बीघा भूमि बंट हिस्से में रखी? ....प्रतिवादी
3) क्या प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित बंट राजस्थान टीनेन्सी के तत्कालीन धारा 53 एवं नियम 10 (राजस्व मण्डल) के विपरीत है इसलिए विधि सम्मत नहीं है। ... वादी
4) अनुतोष

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में परीक्षण न्यायालय द्वारा अपना निर्णय देते हुए निर्णय दिनांक 6.5.2002 व आज्ञप्ति दिनांक 28.5.2002 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादी द्वारा वांछित अनुतोष को अक्षरशः स्वीकार करते हुए एकमात्र वादी समुन्द्र सिंह की खातेदारी कब्जे काश्त की घोषित करते हुए राजस्व अभिलेख में अमल दरामद का आदेश दिया एवं अपीलार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित करते हुए खसरा नम्बर 294 व 295 वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जे की रखे जाने का आदेश पारित किया।

7. उपरोक्त निर्णय दिनांक 6.05.2002 एवं आज्ञाप्ति दिनांक 28.5.2002 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो कि उनके द्वारा दिनांक 22.02.2003 को निरस्त कर दी गई जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने निम्न आधारों पर वर्तमान द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

1) यह कि निर्णय एवं आज्ञप्ति अपीलाधीन पूर्णतया विधि विरूद्ध, दोषयुक्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।
2) यह कि निर्णय एवं आज्ञप्ति इस बिन्दु पर भी निरस्ती योग्य है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आज्ञप्ति अधिनियम, 1955 एवं उनके अन्तर्गत बने टीनेन्सी नियम 1955 के विपरीत आदेश पारित किया है। वस्तुतः उनके द्वारा वादी द्वारा किए गए कथन को अक्षरशः स्वीकार कर लिया गया है जबकि

वादी द्वारा विभाजन सिद्ध नहीं किया गया था साथ ही न केवल खसरा नम्बर 294 व 295 वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जे की रखी गई अपितु वादी का नाम विभाजन के पश्चात भी संयुक्त खातेदारी से हटाने का आदेश नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने पक्ष में विभाजित भूमि प्राप्त करने के पश्चात भी संयुक्त खाते में अपना अधिकार बनाया हुआ है जो कि न्यायालय की अल्पज्ञता का प्रतीक है।

3) यह कि निर्णय एवं आज्ञप्ति अपीलाधीन इस बिन्दु पर भी निरस्ती योग्य है कि वाद पत्र में वादी द्वारा जो खसरा नम्बर बताये गए है वो खसरा नम्बर सम्पूर्ण भूमि में श्रेष्ठ नम्बर हैं एवं यदि वो भूमि वादी/प्रत्यर्थी के धारण में रखी जाती है तो सभी अपीलार्थीगण को अपने अपने खेत में आने जाने के लिए रास्ते आदि की असुविधा होगी साथ ही वो खसरा नम्बर जिनमें अपीलार्थीगण की ढांणी आदि व पानी के टांके आदि बने हुए है वो भी प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में पक्षकारों में विवाद, वैमनस्य एवं असुविधाओं में वृद्धि होगी।

4) यह कि निर्णय अपीलाधीन दोनों ही न्यायालयों इस बिन्दु पर निरस्ती योग्य है कि दोनों ही न्यायालयों द्वारा इस सम्बन्ध में गंभीर त्रुटि कारित की गई है कि विभाजन के वाद में सर्वप्रथम प्राथमिक आज्ञप्ति प्रसारित की जाती है एवं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मांगे जाते हैं एवं लगान का विभाजन किया जाता है साथ ही समस्त भूमि का विभाजन एक साथ किया जाता है जबकि परीक्षण न्यायालय द्वारा मात्र वादी/प्रत्यर्थी द्वारा बताई गई भूमि को एकमात्र वादी की खातेदारी घोषित कर दी एवं राजस्व अभिलेख में अंकन का आदेश दे दिया जबकि न केवल दो खसरा नम्बरों को संयुक्त रख दिया अपितु विभाजनशुदा खसरों में से बाहर रखे खसरों में स्वयं वादी का नाम हटाने का आदेश नहीं दिया।

5) यह कि निर्णय एवं आज्ञप्ति अपीलाधीन इस बिन्दु पर भी निरस्ती योग्य है कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भी अपने कर्तव्य का उचित पालन नहीं किया गया अपितु विशेषकर विवाद बिन्दु संख्या 3 जो कि राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम के अन्तर्गत बने टीनेन्सी नियम (राजस्व मण्डल) के सम्बन्ध में विभाजन प्रक्रिया अपनाने के सम्बन्ध में था का निर्णय ही नहीं किया गया एवं न ही निर्णय करने की आवश्यकता समझी जबकि वास्तविकता यह है कि विभाजन के वाद में राजस्व मण्डल द्वारा निर्मित नियमों की पालना आदेशात्मक है ऐसी स्थिति में दोनो ही न्यायालयों के निर्णय दूषित ठहरते हैं एवं निरस्ती योग्य हैं।

6) यह कि वाद में प्रतिवादी संख्या 6 पप्पूलाल पुत्र बद्रीलाल को खरीददार होने के नाते पक्षकार बनाया गया था एवं तदोपरान्त राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील के लम्बनकाल में रूपाराम पुत्र किशनाराम जाट को खरीदार के रूप में पक्षकार बनाया गया था जिनके द्वारा विशेष खसरा नम्बर खरीद किए गए थे किन्तु अत्यन्त ही आश्चर्यजनक है कि इन दोनों ही व्यक्तियों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया। यदि इनकी खरीद को यथावत भी रखा जाता है तो भी समस्त खेत में से वादी का नाम हटाना आवश्यक था अपितु कालान्तर में प्रविष्टि का अनुचित लाभ उठाते हुए वादी/प्रत्यर्थी किसी भी समय विवाद उत्पन्न कर सकता है।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

9. अपीलांट के अधिवक्ता की बहस है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व वादी समुन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह ने एक वाद संख्या 32/94 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत विचारण न्यायालय नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण मृतक देवीसिंह के विधिक उत्तराधिकारी हैं व प्रत्येक 1/5 हिस्से के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है तथा ''बाई मीट्स व बाउण्डस'' के आधार पर विभाजन के भी अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने बिना प्राथमिक डिक्री जारी किए और बिना तहसीलदार से कुर्रेजात बनवाते हुए दावा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष एक अपील संख्या 80/2002 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 22.2.2003 के द्वारा किया गया और अपने निर्णय के द्वारा विद्वान राजस्व अपील अधिकारी नागौर ने अपील खारिज कर दी और विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.5.2002 यथावत रखा।

10. अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में कहा कि विचारण एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णयों में प्राथमिक डिक्री के बिना ही अंतिम डिक्री पारित कर दी। पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा या विभाजन बाबत सहमति भी नहीं थी इसके बावजूद उन्होंने अंतिम डिक्री पारित कर दी है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अतः उक्त दोनों आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि प्रकरण में उभय पक्षों को सुनकर एवं साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित करें तथा राजस्व मण्डल के पूर्व निर्देशो

के अनुरूप 'बाई मीट्स व बाउण्डस' आधार पर तहसीलदार से कुर्रेजात तैयार करवायें तत्पश्चात विधिवत अंतिम डिक्री पारित करें।

11. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता की बहस है कि बिना प्राथमिक डिक्री के वाद डिक्री किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार सही नहीं है।

12. पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी समुन्द्रसिंह ने एक वाद विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें कथन किया गया था कि ग्राम साटिका खुर्द के आराजी खसरा नं. 279 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, 289 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 296 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 346 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, 348 रकबा 8 बिघा 18 बिस्वा, 351 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा, 353 रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, 2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा, 50 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, 51 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 356 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, 357 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा, 394 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 295 रकबा 7 बिस्वा ढाणी कुल रकबा 144 बीघा 5 बिस्वा वादी और प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि हैं और वर्तमान में यह सम्पूर्ण भूमि वाद के पक्षकारों के खातेदारी में दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर रकबा 44 बीघा था मगर बीच में से रास्ता निकल जाने से इसके वर्तमान नम्बर 1, 2, 50 व 51 पड़े है और रास्ते में भूमि कटने के बाद अब इन चारों का रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा है कुल किता रकबा 144 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जिसमें सभी का 1/5 1/5 हिस्सा है। उक्त भूमि के 1/5 हिस्से पर वादी को धारा 88 के तहत खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व धारा 53 के तहत बंटवारा किया जावें। प्रतिवादीगण ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया और वाद पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए ''बाई मीट्स व बाउण्ड्स'' के आधार पर बंटवारा करने की प्रार्थना की गई।

13. विचारण न्यायालय ने 3 तनकीयात कायम की जिनमें से तनकी संख्या 1 व 3 को सिद्ध करने का भार वादी पर था एवं तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। चूंकि इस वाद में वादी व प्रतिवादी दोनों ही पक्ष बंटवारे को लेकर सहमत नहीं थे इसलिए विचारण न्यायालय को प्राथमिक डिक्री पारित करके तहसीलदार से दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौके पर कुर्रेजात तैयार कर मंगवाने चाहिए थे और दोनों पक्षों को सुनकर अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिए थी। किन्तु विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं किया और मौखिक साक्ष्यों व वाद पत्र के आधार पर ही बिना प्राथमिक डिक्री पारित किए अंतिम डिक्री पारित कर दी। इसके अतिरिक्त

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के खातेदारी अधिकारों के बारे मे भी कोई विवेचन नहीं किया और न ही इस संबंध में निर्णय सुनाया।

14. राजस्व अपील अधिकारी, नागौर ने भी अपने निर्णय दिनांक 22.2.2003 के द्वारा प्रथम अपील खारिज कर विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री को यथावत रखा। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, नागौर व सहायक कलक्टर, नागौर ने बिना प्राथमिक डिक्री पारित किए हुए अंतिम डिक्री पारित कर दी जो कि निरस्तनीय है। अतः राजस्व अपील अधिकारी, नागौर का निर्णय दिनांक 22.2.2003 एवं सहायक कलेक्टर, नागौर का निर्णय दिनांक 6.5.2002 तथा डिक्री अपास्त किए जाते है तथा प्रकरण पुनः सहायक कलेक्टर नागौर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों को सनुकर, साक्ष्यों को ध्यान में रखकर एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित करें तथा राजस्व मण्डल की लार्जर बैंच द्वारा कैलाश व अन्य बनाम रमेश व अन्य में दिनांक 26.04.2017 को दिए गए निर्देशों के अनुसार कुर्रेजात तैयार करवाकर अंतिम डिक्री पारित करें। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 के खातेदारी अधिकारों पर भी विस्तृत निर्णय प्रदान करें।

निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष